


## स्व घोषणा/स्व शपथ पत्र

(सरकार का संकल्प 713, दि० 28.01.2016 दृश्य)

- (1) मैं ..... पुत्र/पुत्री/ .....  
ग्राम ..... ठोला ..... पंचायत .....  
पोस्ट ऑफिस ..... थाना ..... प्रखण्ड .....  
जिला - राँची का स्थायी निवासी हूँ।  
(2) मेरे परिवार की वार्षिक आय सभी खोतों से रु० ..... है।  
(3) मेरी जाति ..... है एवं धर्म ..... है।  
(4) मेरी वंशावली निम्नवत् है :-



(5) मेरे माता/पिता किसी ऐसे पद को धारित नहीं करते हैं जिसके कारण मैं पिछ़ा वर्ग के किमी लेयर संघर्ष में आ पाया/पायी। मेरे माता-पिता की आय भी किमी लेयर के लिए अधिसूचित अधिकतम आय सीमा 6.5 लाख रुपये वार्षिक से कम है। अतः मैं किमी लेयर श्रेणी में नहीं हूँ। (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में लागू नहीं)

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त दी गयी जानकारी और संलग्न कागजात मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में सही है तथा मेरे द्वारा इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। मैं इस तथ्य से भलीभांति अवगत हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी जानकारी मिथ्या/गलत साबित होती है तो मैं नियमानुसार दण्ड का सामना करूँगा/करूँगी तथा मेरे द्वारा ली गई सभी सुविधाएँ तत्काल वापस ले ली जाएँगी।

### स्थानीय जन प्रतिनिधि की अनुशंसा

मैं उक्त आवेदक/आवेदिका को जानता/जानती हूँ एवं उनके द्वारा दिया गया विवरण सही है। उन्हें जाति प्रमाण-पत्र देने की अनुशंसा करता हूँ।

### आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

पिता/पति का नाम .....  
पूर्ण पता.....  
.....  
.....  
संम्पर्क सं० .....

## निर्वाचित जनप्रतिनिधि का अनुशंसा पत्र

आवेदक का नाम .....  
आवेदक के पिता/पति का नाम ..... आवेदक  
का पता - ग्राम ..... पोखरी .....  
पंचायत ..... थाना .....  
प्रखण्ड ..... जिला .....

आवेदक की जाति .....

उक्त आवेदक उपरलिखित दिये गये पता का स्थायी निवासी है एवं उसकी जाति .....  
..... है। मैं उसे जानता पहचानता हूँ। मैं उसे जाति प्रमाण प्रमाण पत्र  
निर्गत करने की अनुशंसा करता हूँ/करती हूँ।

वार्ड पार्षद/मुखिया/प०स०स०

### घोषणा पत्र

आवेदक के द्वारा स्वयं के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) का जाति प्रमाण पत्र के निमित्त (कीमीलेयर रहित)

मैं ..... पिता ..... झारखण्ड राज्य की/के स्थाई निवासी हूँ/हैं और मैं/मेरे पूर्वज दिनांक-10.11.1978 (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अनुसूची I/पिछड़ा वर्ग, अनुसूची II) के मामले में/दिनांक-15.03.1993 (अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में) के पूर्व से झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में अवस्थित पते गाँव/मुहल्ला ..... प्रखण्ड ..... डाकघर .....  
थाना ..... अनुमण्डल ..... जिला ..... पिन कोड .....  
राज्य ..... निवासित हूँ/रहे हैं।

अथवा,

मैं ..... पिता ..... राज्य ..... की/के मूल निवासी हूँ/हैं और मैं/मेरे पूर्वज व्यवसाय/पेशा/आजीविका/अन्य प्रयोजन हेतु आद्वजित होकर झारखण्ड राज्य में वर्ष ..... से लगातार निवासित हूँ/हैं।

1. मैं भारत का/की नागरिक हूँ।
2. मेरा आधार नं० (यदि हो तो) :-
3. मेरा मोबाइल नं० (यदि हो तो) :-
4. मैं गाँव/मुहल्ला ..... प्रखण्ड ..... डाकघर .....  
थाना ..... अनुमण्डल ..... जिला ..... पिन ..... राज्य ..... के  
पते पर साधारण निवास करता/करती हूँ।
5. मैंने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.०)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के जाति के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन समर्पित किया है, जो कि भारत सरकार/झारखण्ड राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.०)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) अथवा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के रूप में सूचीबद्ध है।
6. मेरे माता/पिता में से कोई भी भारत सरकार/झारखण्ड सरकार के अधीन ग्रुप ए/क्लास I के पद पर अथवा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, राष्ट्रीयकृत बैंक, बीमा कंपनी एवं शिक्षण संस्थान की सेवा में अथवा ग्रुप ए के समकक्ष पद पर गैरसरकारी सेवा में अथवा किसी संवैधानिक पद पर नहीं हैं।
7. मेरे माता और पिता (जो लागू न हो उसे काट दें) में से दोनों भारत सरकार/झारखण्ड सरकार के अधीन ग्रुप बी/क्लास II के पद पर अथवा भारत सरकार/झारखण्ड सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, राष्ट्रीयकृत बैंक, बीमा कंपनी एवं शिक्षण संस्थान की सेवा में अथवा ग्रुप बी के समकक्ष पद पर गैरसरकारी सेवा में नहीं हैं।
8. मेरे माता/पिता की वेतन से वार्षिक आय रूपये ..... है।
9. मेरे माता/पिता की कृषि से वार्षिक आय रूपये ..... है।
10. मेरे माता/पिता की अन्य स्रोत से व्यापार/व्यवसाय सहित कुल वार्षिक आय रूपये ..... है।

11. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेशन मत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक-08.09.93 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-360112/22/93-स्थान (एस०सी०टी०) में निहित आदेश की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियाँ/वर्ग (सम्पन्न वर्ग) से संबंधित नहीं हैं।

12. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं, मौजा \_\_\_\_\_ खाता संख्या \_\_\_\_\_ प्लॉट संख्या \_\_\_\_\_  
पंचायत/वार्ड \_\_\_\_\_ के खतियानी रैयत \_\_\_\_\_ का/की \_\_\_\_\_ हूँ।  
खतियानी रैयत का नाम \_\_\_\_\_ (हाल सर्वे/साधिक सर्वे\*) सर्वे वर्ष -  
↓  
प्रथम पीढ़ी \_\_\_\_\_  
↓  
द्वितीय पीढ़ी \_\_\_\_\_  
↓  
तृतीय पीढ़ी \_\_\_\_\_  
↓  
चतुर्थ पीढ़ी \_\_\_\_\_  
\* जो लागू न हो उसे काट दे।

13. मैं/मेरा परिवार झारखण्ड राज्य में स्थायी तौर पर निवासित हैं तथा मुझे देश के किसी अन्य राज्य से आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य है। अगर सूचना गलत पायी जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त मेरा नियोजन/नामांकन/आरक्षण से प्राप्त अन्य सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा०द०वि० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक का हस्ताक्षर

#### नोट :-

- इस प्रपत्र का प्रयोग अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) अथवा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के राज्य/केन्द्र प्रयोजनार्थ सहित आवृजित श्रेणी के क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के लिए स्वघोषणा हेतु किया जायेगा।
- अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) को बिना क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु स्वघोषणा पत्र के लिए अलग प्रपत्र दिये गये हैं।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड, रॉची के संकल्प  
संख्या-3198 दिनांक 18.04.2016 के अन्तर्गत 'झारखण्ड को स्थानीय  
निवासी' प्रमाण पत्र हेतु आवेदक पत्र

1. आवेदक का नाम तथा आधार संख्या .....  
(यदि उपलब्ध हो)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. आवेदक के पिता/पति माता का नाम .....

3. आवेदक का स्थायी पता .....  
(स्थायी पता के प्रमाण में बिजली का  
बिल/टेलिफोन का बिल/एल.आई.सी./मतदाता  
पहचान पत्र, हजारों से कोई एक ही  
स्वहस्ताक्षरित छाना प्रति संलग्न करें)

गाम/मो.:.....

पो.:..... वाना.....

पंचायत..... जिला.....

4. झारखण्ड राज्य के स्थानीय नागरिक होने का  
आधार (संकल्प की कंडिका-2 की जिस उप  
कंडिका के आधार पर आवेदक दावा प्रस्तुत  
कर रहा है, उस कंडिका का उल्लेख करें)

.....

.....

.....

5. उपर्युक्त कंडिका-4 के दावे के समर्थन में  
प्रस्तुत किये जाने वाले अभिनेत्र का विवरण  
.....

.....

.....

6. आवेदक का दूरभाषा संख्या/मोबाइल  
संख्या/ई-मेल पता (यदि उपलब्ध हो, अन्यथा  
लागू नहीं अंकित करें)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

.....

आवेदक का हस्ताक्षर

(नाम.....)

तिथि.....

पूर्व पृष्ठ पर अपने दावे के समर्थन में आवेदक की घोषणा

जो सही हो उसे सही (✓) अंकित करें:-

- क्या आपके माता/पिता को झारखण्ड के रथानीय निवास प्रमाण-पत्र प्राप्त हैं? हाँ / नहीं
  - क्या आपके माता/पिता/पूर्वजों का नाम खातियाब में टर्ज हैं? हाँ / नहीं
  - क्या आपके माता/पिता भूमिहीन हैं? हाँ / नहीं
  - क्या आप झारखण्ड में प्रचलित भाषा, संस्कृति, परम्परा से अवगत हैं? हाँ / नहीं
  - क्या आप स्वयं अथवा आपके माता/पिता राज्य सरकार के कर्मी हैं? हाँ / नहीं
  - क्या आप स्वयं अथवा आपके माता/पिता भारत सरकार के कर्मी हैं तथा वे झारखण्ड राज्य में पदस्थापित हैं? हाँ / नहीं
  - क्या आप स्वयं अथवा आपके माता/पिता झारखण्ड राज्य में किसी रायेशानिक/ विधिक (Statutory) पद पर आसीन हैं? हाँ / नहीं
  - क्या आपका जन्म झारखण्ड राज्य क्षेत्र में हुआ है? हाँ / नहीं
  - क्या आपने अपनी गैट्रिक्युलेशन अथवा समकक्ष रतर की पूरी शिक्षा झारखण्ड स्थित किरी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त की हैं? हाँ / नहीं
  - क्या आप स्वयं अथवा आपके माता/पिता विगत 30 वर्षों से झारखण्ड राज्य में निवास करते हैं और अचल सम्पत्ति अर्जित की हैं? हाँ / नहीं

मैं एतद द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी में सत्य है। सूचनाओं के असत्य पाये जाने पर मेरे विलक्ष कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

स्थल :

धोषणाकर्ता का हस्ताक्षर

दिनांक :

आधार संख्या (वैकल्पिक) [ ]

झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हेतु प्रतिज्ञान का प्रपत्र

मैं श्री/श्रीमति/सुश्री ..... पिता/पति श्री .....  
 पता—ग्राम/वार्ड/शहर ..... पो. .... याना -.....  
 जिला..... का निवासी हूँ और मैं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग  
 द्वारा संकल्प संख्या-3198 दिनांक-18.04.2016 की कंडिका-2 की उप कंडिका ..... में उल्लिखित  
 गत्तौ के आधार पर झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी की शर्त पूरी करता हूँ। (समर्थन में दस्तावेज  
 एवं स्व सत्यापित हस्ताक्षरयुक्त की छायाप्रति संलग्न)

2. मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं किसी अन्य राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र का स्थानिय विवासी नहीं हूँ और ज्ञारखण्ड राज्य में रहने के लिए प्रतिबद्ध होने का प्रतिज्ञान करता हूँ।

3. मैं यह भी प्रतिज्ञान घोषित करता/करती हूँ कि राज्य सरकार (सक्षम प्राधिकार) प्रतिज्ञान में अंकित तथ्य की जांच में असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए सक्षम होगी।

प्रतिज्ञान घोषित करने वाले का हस्ताक्षर एवं नाम (स्पष्ट अक्षरों में  
आधार संख्या (स्वीच्छा))

## शपथ पत्र

### आय प्रमाण-पत्र हेतु

मैं ..... पिता/पति ..... ग्राम .....  
 डाकघर ..... याना ..... पंचायत .....  
 प्रखण्ड ..... जिला - राँची (झारखण्ड) का निवासी हूँ। मेरे परिवार का  
 कुल वार्षिक आय निम्न प्रकार है :-

1. कृषि से आय	-	.....
2. व्यवसाय से आय	-	.....
3. नौकरी से आय	-	.....
4. अन्य स्रोतों से आय	-	.....
कुल आय	-	.....

उपरोक्त दी गई विवरणी मेरे जानकारी में पूर्णतया सही है। गलत प्रतिवेदन की  
दशा में मेरे विलङ्घ कानूनी कारबाई की जा सकती है।

अभिप्रमाणित आवेदक के पिता का हस्ताक्षर

स्व-घोषणा का हस्ताक्षर

नाम-

पिता/पति का नाम-

पता-

पो०-

याना-

तिथि-

ग्राम पंचायत के मुखिया/पं०स०स०/

वार्ड पार्षद का हस्ताक्षर।

वंशावली रात्यापन हेतु

**स्व-घोषणा पत्र**

**स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र हेतु**

मैं ..... पिता .....

ग्राम ..... डाकघर .....

थाना ..... पंचायत .....

प्रखण्ड ..... जिला - राँची (झारखण्ड) का निवासी हूँ।


मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं मौजा .....

खाता सं० ..... प्लॉट सं० .....

पंचायत ..... के खतियानी ऐयत .....

का/की ..... हूँ।

खतियानी ऐयत से मेरा वंशावली निम्न प्रकार है:-



मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतया सत्य एवं प्रमाणित है। इसमें किसी भी प्रकार से गलत होने की दशा में मेरे विरुद्ध कानूनी कारबाई की जा सकती है।

अभिप्रमाणित आवेदक के पिता का हस्ताक्षर

स्व घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर

नाम -  
पिता -  
पता -  
डाकघर -  
थाना -  
दिनांक -

ग्राम पंचायत के मुखिया/पं०स० सदस्य/  
वार्ड पार्षद का हस्ताक्षर

# आवेदक द्वारा वंशावली

उपरोक्त वंशावली मेरे जानकारी में सही एवं  
सत्य है, गलत होने पर कानूनी तौर पर भागी  
बनूंगा / बनूंगी

आवेदक का हस्ताक्षर

मुखिया का हस्ताक्षर